

# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/एच.आर./2021/4298

भोपाल, दिनांक : 06/03/2021

**आदेश**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों की सेवा अनुबंध अवधि दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाये जाने हेतु आदेश क्रमांक एनएचएम/एचआर/2021/3349 ,दिनांक 22/02/2021 द्वारा जारी किया गया था। उक्त आदेश की कड़िका पैरा में ऐसे संविदा चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी जिनकी आयु 67 वर्ष से अधिक है।

“यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे संविदा चिकित्सक जो चिकित्सकीय कार्य संपादित कर रहे हैं अथवा प्रशासकीय कार्य में पदस्थ हैं एवं उनकी आयु 67 वर्ष अथवा उससे अधिक है उनका सेवा अनुबंध अवधि को दिनांक 31.03.2021 से आगे नहीं बढ़ाते हुए प्रस्ताव कार्यालय मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश को भेजा जाना सुनिश्चित करें। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।”



(डॉ. पंकज शुक्ला)  
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 06/03/2021

पु.क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2021/4299

**प्रतिलिपि :-**

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल,म.प्र.।
5. आयुक्त आयुष संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल,म.प्र.।
6. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय,म.प्र.।
7. समस्त कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति,म.प्र.।
8. अपर संचालक, प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र.।
9. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन भोपाल, म.प्र.।
11. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.।
12. समस्त उप संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र./संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
13. उप संचालक,कार्यालय स्थापना,एन.एच.एम. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
14. उप संचालक आई.टी. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र. म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करावें।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में उल्लेखित निर्देशों के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
17. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,म.प्र.।
18. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक,मध्यप्रदेश।
19. आदेश नस्ती।



मुख्य प्रशासकीय अधिकारी  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश